आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय

भाग–1

<u>विभागीय संरचना</u>

राज्य में सांख्यिकी गतिविधियों के समन्वय, क्षेत्र सर्वेक्षण, विविध विषयों पर संमकों के एकत्रीकरण, सारणीयन एवं एकत्रित जानकारी के प्रस्तुतीकरण कार्य को सम्पादित करने हेतु राज्य, जिला एवं जनपद मुख्यालय पर विभिन्न संवर्गो के अधिकारी, कर्मचारी पदस्थ हैं । वर्तमान में स्वीकृत एवं कार्यरत अमले का विवरण परिशिष्ट–एक में दर्शाया गया है ।

अधीनस्थ कार्यालय

आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, के अधीनस्थ जिला स्तर पर, प्रदेश के 16 जिलो में जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय स्थापित है । संचालनालय में प्रशासनिक एवं तकनीकी कार्यो के संधारण हेतु 9 संभाग हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट–दो में दर्शाया गया हैं ।

आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय के दायित्वः–

शासन के जन कल्याणकारी योजनाओं के सविन्यास, विकास से संबंधित आधारभूत समंकों का संकलन तथा प्रशासकीय उपयोग हेतु वांछित सांख्यिकी का संकलन, सर्वेक्षण विश्लेषण, मूल्यांकन, तथा उन्हें प्रकाशित कर समाजार्थिक स्थिति का स्पष्ट एवं वास्तविक चित्रांकन करने का महत्वपूर्ण दायित्व, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय का है । शाासन के विभिन्न विभागों की सांख्यिकी गतिविधियों में समन्वय स्थापित करने एवं विकास योजनाओं के लिये महत्वपूर्ण सांख्यिकी उपलब्ध कराने हेतु आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय को राज्य स्तर पर नोडल अभिकरण घोषित किया गया है ।

आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय के प्रमुख कार्य :-

1.सामान्य जानकारी

1.1 आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय द्वारा शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं के सविन्यास हेतु विकास कार्यक्रमों एवं प्रशासकीय उपयोग हेतु वांछित सांख्यिकी का संकलन एवं विश्लेषण कार्य सम्पादित किया जाता है, साथ ही राज्य की सामाजर्थिक स्थिति का आंकलन नियमित रूप से करने के अलावा राज्य शासन के विभिन्न विभागों के द्वारा चाहे गये सर्वेक्षण/मूल्यांकन अध्ययनों का सम्पादन भी संचालनालय के महत्वपूर्ण कार्य हैं ।

1.2 आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय के अंतर्गत प्रचलित अधिनियम तथा नियम निम्नानुसार है :-

(अ) औद्योगिक साांख्यिकी (कारखाना अधिनियम, 1948) तथा सांख्यिकी अधिनियम, 1953

(ब)जन्म-मूत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969

(स)छत्तीसगढ़ राज्य जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम 2001

1.3 आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय अपने तकनीकी कार्यो के सम्पादन हेतु राष्ट्रीय नीति का पूर्णत: अनुशरण करता है । इसके अन्तर्गत भारत सरकार के केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, राष्ट्रीय न्यादर्श संगठन, महारजिस्ट्रार जन्म-मृत्यु पंजीयन एवं योजना आयोग के अनुदेशों तथा निर्देशों के अनुरूप उपयोगी सांख्यिकी का निर्धारित प्रारूपों में संकलन एवं संकलित जानकारी के आधार पर विभिन्न प्रकाशनों को तैयार किया जाता है । राष्ट्रीय स्तर का सर्वेक्षण, अनुसूचियों द्वारा सर्वेक्षण सम्पादित करना, तथा अन्य सामाजार्थिक सर्वेक्षण एवं मूल्यांकन अध्ययनों के प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाते हैं ।

1.4 आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय द्वारा प्रतिवर्ष भारत शासन के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन) नई दिल्ली के मार्गदर्शन में राज्य के सकल/निवल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान तैयार किये जाते हैं ।

1.5 आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय द्वारा क्रियान्वित सांख्यिकी गतिविधियों का उद्देश्य राष्ट्रीय नीतियों के परिपेक्ष में सांख्यिकी तंत्र का सुदृढीकरण किया जाकर प्रशासन, योजनाविद् तथा शोधकर्ताओं को उपयोगी सांख्यिकी उपलब्ध कराना है ।

2. संचालनालय की प्रमुख गतिविधियाॅ :-

2.1 राज्य की अर्थ व्यवस्था सम्बन्धी प्रकाशन

राज्य की समाजार्थिक स्थिति और उसे प्रभावित करने वाले प्रमुख घटकों एवं नीतियों का विश्लेषणात्मक अध्ययन '' *छत्तीसगढ का आर्थिक सर्वेक्षण* ''नामक प्रकाशन में किया जाता है । इस प्रकाशन के लिये सम्बन्धित विभागों, निगमों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख प्रतिष्ठानों द्वारा उपलब्ध करायी गई अद्यतन सांख्यिकी जनकारी का उपयोग किया जाता है । प्रकाशन के अंतर्गत प्रमुख रूप से राज्यीय आय, कृषि, उत्पादन, पशुपालन, मत्स्य विकास, वानिकी, जल संसाधन, उर्जा, उद्योग, खनिज, परिवहन, श्रम एवं रोजगार, सहकारिता एवं बैंकिंग तथा सामाजिक क्षेत्र से संबंधित विभागों की विकासात्मक गतिविधियों के संबंध में जानकारी दी जाती है । इसी संदर्भ में प्रति वर्ष छत्तीसगढ़ राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण नामक प्रकाशन प्रकाशित किया जाकर विधान सभा के बजट सत्र में प्रस्तुत किया जाता है ।

2.2 राज्य घरेलू उत्पाद

राज्य की अर्थव्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों का आंकलन करने के लिये भारत शाासन के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वियन मंत्रालय(केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन) नई दिल्ली के मार्गदर्शन में प्रतिवर्ष राज्य के सकल/निवल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान एवं प्रतिव्यक्ति आय प्रचलित एवं स्थिर भावों पर तैयार किये जाते हैं । इन अनुमानों को प्रतिवर्ष विधान सभा के बजट सत्र् में प्रस्तुत किया जाता हैं ।

छत्तीसगढ राज्य के राज्य घरेलू उत्पाद के प्रावधिक अनुमान वर्ष 2003-2004 तैयार कर भारत शासन के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वियन मंत्रालय(केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन) नई दिल्ली, एवं समस्त राज्यों को भेजे जा चुके है । इसका वार्षिक प्रकाशन भी तैयार किया गया है ।

वर्ष 2003-2004 के प्रावधिक एवं वर्ष 2004-2005 के त्वरित अनुमानों को तैयार करने का कार्य प्रगति पर है, इसे आगामी बजट सत्र् में ''आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2005-2006 '' नामक प्रकाशन में सम्मिलित कर प्रस्तुत किया जावेगा ।

(अ) आय-व्ययक संक्षेप

प्रतिवर्ष विधान सभा में प्रस्तुत होने वाले राज्य के बजट अनुमानों का संक्षेप में प्रतिवेदन (प्रकाशन) तैयार किया जाता है, जो विधान सभा में बजट के दौरान प्रस्तुत किया जाता है । इस प्रकाशन को तैयार करने का मुख्य उद्देश्य बजट प्रावधानों को स्थूल व सरल रूप मे दर्शाना होता है । वर्ष 2005-2006 के बजट अनुमानों का संक्षेप में प्रतिवेदन (प्रकाशन) तैयार कर, विधान सभा बजट सत्र् में प्रस्तुत किया जा चुका है ।

(ब) बजट विश्लेषण:-

छत्तीसगढ राज्य के बजट वर्ष 2005-2006 के आधार पर वर्ष 2003-2004 (लेखा) तथा वर्ष 2004-2005 (पुनरीक्षित) का आर्थिक एवं उ्देश्यवार वर्गीकरण तैयार किया गया है, इसका उद्देश्य विभिन्न मदों में सरकार की प्राथमिकताओं को दर्शाना होता है । इस संचालनालय द्वारा वर्ष 2003-2004 (लेखा) तथा 2004-2005 (पुनरीक्षित) का आर्थिक एवं उद्देश्यवार वर्गीकरण तैयार कर निर्धारित प्रपत्र में भारत शासन के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वियन मंत्रालय (केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन), नई दिल्ली को प्रेषित किया जा चुका है ।

2.4 सर्वेक्षण कार्य :-

आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय द्वारा राज्य शासन के विभिन्न विभागों की आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति के लिये समय-समय पर सर्वेक्षण का आयोजन किया जाता है ।

देश व्यापी प्रतिदर्श सर्वेक्षण के अन्तर्गत, केन्द्र सरकार के निर्धारित प्रपत्रो में जानकारी विभिन्न विषयों पर वर्ष 1950 से राष्ट्रीय न्यादर्श सर्वेक्षण इकाई द्वारा किया जा रहा है । छत्तीसगढ राज्य में रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, एवं रायगढ जिलों में राष्ट्रीय न्यादर्श सर्वेक्षण की इकाईयॉ संचालित है, जिनके फील्ड स्टाफ द्वारा पूरे छत्तीसगढ़ में सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न किया जा रहा है, जिनके क्रियाकलापों का संचालन, समन्वय एवं मॉनीटरिंग का कार्य संचालनालय द्वारा किया जा रहा है ।

61 वें दौर का सर्वेक्षण कार्य 01 जुलाई 2004 से 30 जून 2005 तक किया गया । इस विषय का क्षेत्रीय प्रशिक्षण 7 एवं 8 जुलाई 2004 को बिलासपुर में सम्पन्न हुआ । सर्वेक्षण कार्य का विषय उपभोक्ता व्यय, रोजगार एवं बेरोजगारी है । छत्तीसगढ़ के 169 ग्रामों तथा 69 नगर खण्डों में सर्वेक्षण कार्य पूर्ण कर लिया गया है ।

62 वें दौर का सर्वेक्षण कार्य 01 जुलाई 2005 से 30 जून 2006 तक किया जाना है । इस विषय का क्षेत्रीय प्रशिक्षण दिनांक 18 एवं 19 जुलाई 2005 को दुर्ग में संपन्न हुआ । सर्वेक्षण कार्य का विषय असंगठित विनिर्माण उद्यमी, उपभोक्ता व्यय, तथा रोजगार एवं बेरोजगारी है । 62 वें दौर में 72 ग्रामीण तथा 64 नगरीय न्यादर्श, इस प्रकार कुल 136 न्यादर्शो का सर्वेक्षण कार्य किया जाना है । जिसमें से माह दिसम्बर 2005 तक 33 ग्रामीण न्यादर्शो तथा 27 नगरीय न्यादर्शो का वर्तमान कार्य पूर्ण कर लिया गया है ।

(5) जन्म मृत्यु पंजीयन कार्य :-

भारत शासन द्वारा स्वीकृत जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य में जन्म मृत्यु पंजीयन का कार्य कराया जा रहा है । भारत के महारजिस्ट्रार द्वारा जन्म मृत्यु पंजीयन की नवीन व्यवस्था दिनांक 1-1-2000 से प्रारंभ की गई है, जिसके अनुरूप वर्तमान में जन्म मृत्यु पंजीयन का कार्य छत्तीसगढ़ जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम 2001 के अनुसार किया जा रहा है । प्रदेश में संचालक, आर्थिक एवं सांख्यिकी को मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म मृत्यु) घोषित किया गया है । जिला स्तर पर जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी को जिला रजिस्ट्रार (जन्म मृत्यु) का दायित्व सौपा गया हैं ।

प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में, जन्म मृत्यु पंजीयन की व्यवस्था, नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायतों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आरक्षी केन्द्रों में की गई है । नगरीय क्षेत्रों के लिए क्रमशः स्वास्थ्य अधिकारी (नगर निगम)/मुख्य नगर पालिका अधिकारी, एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिये आरक्षी केन्द्र प्रभारी को उनके क्षेत्रांतर्गत रजिस्ट्रार घोषित किया गया है । शहरी क्षेत्रों में वार्ड दरोगा एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कोटवार/आंगनबाडी कार्यकर्ता/ए.एन.एम./एम.पी.डब्लू. को सूचनादाता बनाया गया है। राज्य स्तर पर मुख्य रजिस्ट्रार की सहायता के लिए उपसंचालक (जीवनांक) को उपमुख्य रजिस्ट्रार (जन्ममृत्यु) का दायित्व सौपा गया है ।

प्रदेश के 16 जिलों में जन्म-मृत्यु शिशु मृत्यु घटनाओं का पंजीयन कार्य नगरीय क्षेत्रों में नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायतों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आरक्षी

केन्द्रों के माध्यम से जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी द्वारा सम्पादित कराया जा रहा है ।

भारत के महारजिस्ट्रार नई दिल्ली के निर्देशानुसार राज्य में जन्म प्रमाण पत्र वितरण के द्वितीय चरण जिसमें 10 वर्ष के कम उम्र के बच्चे जिनका पंजीयन हो चुका है, उन्हें जन्म प्रमाण पत्र वितरण करने का कार्य एवं इन आयु समूहों के बच्चों को पंजीकृत करने की कार्यवाही करते हुऐ जन्म प्रमाण पत्र वितरित करने का कार्य किया जा रहा है ।

पंजीयन कार्य में गुणात्मक एवं संख्यात्मक सुधार के लिये राज्यस्तरीय अंर्तविभागीय समन्वय समिति एवं जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित कर जन्म मृत्यु रजिस्ट्रकरण कार्यो में आने वाली कठिनाईयों के निराकरण हेतु प्रयास किया जा रहा है । जीवनांक पंजीयन में प्रगति लाने के लिये यूनीसेफ की आर्थिक सहायता से राज्य में जन्म-मृत्यु के जिला रजिस्ट्रारों तथा कलेक्टर/पुलिस अधीक्षकों का राज्य स्तरीय सम्मेलन दिनांक 25 जून 2005, को रायपुर में आयोजित किया गया । इसके अतिरिक्त राज्य के समस्त ग्रामीण एवं नगरीय इकाईयों के जन्म मृत्यु के समस्त जिला रजिस्ट्रारों के लिए बिलासपुर में दिनांक 10 जून 2005, दुर्ग में 12 जून 2005, रायपुर में 22 जुलाई 2005, जगदलपुर में 2 सितम्बर2005, एवं अम्बिकापुर में 9 अक्टूबर 2005 को क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यशाला का अयोजन किया गया ।

सिविल रजिस्ट्रेशन प्रणाली के अंतर्गत जन्म-मृत्यु पंजीयन के साथ ही मृत्यु के कारणों के चिकित्सीय प्रमाण पत्र जारी करना अनिवार्य किया गया है । इस सबंध में शाासन स्तर से अधिसूचना जारी की जा चुकी है । आलोच्य वर्ष में विषायान्तर्गत प्रतिवेदन वर्ष 2002 एवं 2003 भारत के महारजिस्ट्रार नई दिल्ली की ओर प्रेषित की गई है ।

कार्यकरण पर वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2003, तथा वार्षिक जीवनांक सांख्यिकी वर्ष 2004 महारजिस्ट्रार नई दिल्ली की ओर प्रेषित की जा चुकी है ।

(6) उपभोक्ता मूल्य सूचकांक :-

औद्योगिक कामगारों के लिये खाद्य एवं सामान्य समूह के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, लेबर ब्यूरो, शिमला के मार्गदर्शन में तैयार किए जाते हैं । छत्तीसगढ़ में केवल एक मात्र केन्द्र भिलाई है । भिलाई केन्द्र की नियमित मासिक जानकारी निर्धारित प्रारूप में लेबर ब्यूरों शिमला से प्राप्त हो रही है ।

शहरी गैर श्रमिक कर्मचारियों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक हेतु छत्तीसगढ़ में नये केन्द्र स्थापित होने के पश्चात ही इस सबंध में कार्यवाही की जा सकेगी । कृषि श्रमिकों के साथ ही ग्रामीण श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक लेबर ब्यूरो, शिमला द्वारा तैयार किए जाते हैं । छत्तीसगढ़ राज्य के लिए पृथक से सूचकांक तैयार कर, नियमित रूप से मासिक प्रतिवेदन प्रेषित किया जाता है ।

(7) प्रशिक्षण :-

- (अ) राष्ट्रीय न्यादर्श सर्वेक्षण 62 वे दौर का प्रशिक्षण अहमदाबाद में दिनांक 26-12-2005 से 27-12-2005 तक आयोजित किया गया था, जिसमे संचालनालय के दो कर्मचारियों ने भाग लिया ।
- (ब) राज्य स्तरीय जन्म-मृत्यु पंजीयन कार्यशाला का आयोजन रायपुर में दिनांक 25 जून 2005 को किया गया ।
- (स) सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान विषय से संबंधित सेमीनार केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन नई दिल्ली में दिनांक 26-8-2005 से 28-8-2005 तक आयोजित किया गया । जिसमें संचालनालय के 6 अधिकारियों ने भाग लिया ।
- (इ) राज्यीय आय से सबंधित सेमीनार दिनांक 9 अप्रैल 2005 से 17 अप्रैल 2005 तक दिल्ली में एवं दिनांक 12 मार्च से 20 मार्च तक ग्वालियर में आयोजित हुआ, जिसमें संचालनालय के क्रमशः 4 व 5 अधिकारियों ने भाग लिया ।

भाग–2

बजट विहंगावलोकन :–

आलोच्य वर्ष 2005–06 में आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय की विभिन्न सांख्यिकी गतिविधियों को सम्पन्न कराने हेतु आयोजनेत्तर बजट प्रावधान रूपये 487.91 लाख का रखा गया है। इसके अतिरिक्त आयोजन शीर्ष में रूपये 504.68 लाख स्वीकृत है । संचालनालय की वर्ष 2005–06 के बजट संबंधी जानकारी निम्नानुसार है :-

(लाख रूपये में)

योजना शीर्ष एवं क्रमांक	वर्ष 2005–06 के लिये अधिकृत व्यय(up to Sep-2005)	पुनरीक्षित बजट प्रस्ताव 2005–06	वर्ष 2006–07 के लिये बजट प्रस्तावित
1	2	3	4
मांग संख्या–31 शीर्ष 3454			
(अ) आयोजनेत्तर			
(1) 205–राज्य सांख्यिकी संस्थान	159.20	409.05	481.33
(2) 111 जन्म–मृत्यु से संबंधित आंकड़ों का संकलन	15.61	39.35	43.48
(3) 201 राष्ट्रीय न्यादर्श सर्वेक्षण	14.31	39.51	39.69
योग (अ)	**189.12**	**487.91**	**564.50**
(ब) राज्य आयोजना			
02सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी 111 जन्म मृत्यु संबंधी आंकड़े 010 राज्य आयोजना सामान्य	00.62	16.77	53.34
योग–(ब)	**0.62**	**16.77**	**53.34**
योग (अ+ब)	**189.74**	**504.68**	**617.84**

भाग–3

राज्य तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनायें

अ– राज्य योजनायें

आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय द्वारा जो राज्य योजनायें क्रियान्वित की जा रही है,उनका उद्देश्य विभागीय नीति के परिपेक्ष में सांख्यिकी तंत्र का सुदृढ़ीकरण किया जा कर उपयोगी सांख्यिकी उपलब्ध कराया जाता है । संचालनालय द्वारा संचालित योजनाओं में बजट प्रावधान संबंधी जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र.	योजना का नाम	वर्ष 2005-06 के लिये अधिकृत व्यय (up to Sep-2005)	पुनरीक्षित बजट प्रस्ताव 2005-06	वर्ष 2006-07 के लिये बजट अनुमान
1	2	3	4	5
1	जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 का प्रभावी क्रियान्वयन	00.62	4.10	4.92
2	जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय का सुदृढ़ीकरण	00.00	9.90	28.17
3	सांख्यिकी अमले का प्रशिक्षण	00.26	3.00	10.00
	योगः-	**00.88**	**17.00**	**43.09**
	केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)			
1	0701-के.प्र.यो. सामान्य (5501-नागरिकता पंजीयन एवं जन्म-मृत्यु सांख्यिकी प्रणाली का सुदृढ़ीकरण	00.00	1.57	18.15
	केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)			
2	0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य (5537)-मृत्यु सांख्यिकी का विश्लेषण	00.00	1.20	2.10
3	0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य (6565) पंचम आर्थिक गणना 23 अन्य प्रभार	4.90	107.20	22.42
	योग :-	**5.78**	**126.97**	**85.76**

भाग–4
सामान्य प्रशासनिक विषय
निरंक
भाग–5
निरंक
भाग–6

1. प्रदेश के जिलेवार विकास संकेतक–

इस प्रकाशन में प्रदेश के 11 विभिन्न पहलूओं के मूलभूत आंकड़ों के साथ–साथ सामाजार्थिक विकास संकेतक प्रकाशित किये गये हैं । यह प्रकाशन राज्य के जिलो की तुलनात्मक विकास को समझाने में सहायक हैं ।

2. प्रशासनिक क्षेत्र में नियोजन गणना :–

संचालनालय द्वारा प्रकाशित किया जाने वाला यह एक वार्षिक प्रकाशन है । छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार प्रशासकीय विभागों, स्थानीय एवं नगरीय निकायों तथा विश्वविद्यालयों में नियोजित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनकी सेवा श्रेणी, वेतनमान एवं वेतन समूह अनुसार वर्गीकृत किया जाता है । 31 मार्च 2004 की स्थिति में जानकारी का संकलन किया जा चुका है । तथा 31 मार्च 2005 की स्थिति में अधिकारियों/कर्मचारियों से संबंधित जानकारी संकलित की जा कर प्रकाशन को अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।

3. आर्थिक गणना :–

केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, नई दिल्ली द्वारा आयोजित आर्थिक गणना, 2005 का सर्वेक्षण कार्य आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय छत्तीसगढ़ द्वारा किया गया। यह राष्ट्रीय स्तर का महत्वपूर्ण कार्य है, जिसमें प्रत्येक ग्राम एवं नगर सीमाओं में स्थित सभी परिवारों एवं उद्यमी इकाईयों की शासकीय गणना की जाती है । वर्तमान में क्षेत्रीय कार्य सम्पादित कर, त्वरित परिणाम केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, नई दिल्ली को भेजे जा चुके हैं, तथा भरे प्रपत्रों का स्केनिंग कार्य किया जा रहा है ।

विभाग द्वारा निकाले जाने वाले प्रमुख प्रकाशन

आर्थिक एंव सांख्यिकी संचालनालय द्वारा नियमित रूप से प्रकाशित किये जाने वाले प्रमुख प्रकाशनों का विवरण निम्नानुसार है :-

1- छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण

2- छत्तीसगढ़ राज्य के राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान

3- प्रदेश के बजट का आर्थिक एवं उद्‌देश्यवार वर्गीकरण

4- प्रशासनिक क्षेत्र में नियोजन गणना- 31 मार्च

5- छत्तीसगढ़ एक दृष्टि में **(C.G.- AT A GLANCE)**

6. छत्तीसगढ़ का सांख्यिकी संक्षेप (द्विभाषी हिन्दी/अंग्रेजी)

इस प्रकाशन में राज्य की अर्थ व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर अद्यतन् पांच वर्षो की महत्वपूर्ण सांख्यिकी आंकड़े प्रकाशित किये जाते है । वर्ष 2005 के प्रकाशन हेतु विभिन्न विभागों से जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

7. कृषि विपणन-

इस प्रकाशन में प्रदेश की विभिन्न कृषि उपज मंडियों में कृषि पदार्थो के आवक जावक, थोक औसत एवं फुटकर भाव आय-व्यय आदि महत्वपूर्ण जनकारियों का प्रकाशन किया जाता है।

8. जिलास्तरीय वार्षिक प्रकाशन:-

1. जिला सांख्यिकी पुस्तिका ।
2. जिले के प्रमुख आंकड़े ।
3. जनपद पंचायत के प्रमुख आंकड़े ।
4. जिला विकास पुस्तिका ।

सारांश

आर्थिक एवं सांाख्यिकी संचालनालय महत्वपूर्ण एवं आधार भूत आंकड़ों के संकलन एवं विश्लेषणों के दायित्वों का निवर्हन कर रहा है । संचालनालय के अधीनस्थ जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालयों द्वारा अपने-अपने क्षेत्र की सांख्यिकी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रकाशन तैयार किये जाते हैं । विकेन्द्रीकृत योजनाओं के लिये आधार भूत सांख्यिकी जिला स्तर पर एवं विकास खण्ड स्तर पर उपलब्ध कराई जाती हैं ।

इस प्रकार आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय राज्य, जिला एवं जनपद स्तर पर सांख्यिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण दायित्वों का निवर्हन कर रहा है ।

परिशिष्ट –एक

(31–12–2005 की स्थिति में)

क.	पदनाम	स्वीकृत पद			भरे हुए पद		
		मुख्यालय	जिला	योग	मुख्यालय	जिला	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
अ	**प्रथम श्रेणी**						
1	संचालक	1	–	1	1	–	1
2	संयुक्त संचालक	2	–	2	2	–	2
3	उप संचालक	7	–	7	2	–	2
ब	**द्वितीय श्रेणी**						
1	सहायक संचालक/जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी	13	16	29	12	13	25
2	प्रोग्रामर	1	–	1	–	–	–
स	**तृतीय श्रेणी**						
1	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	35	92	127	23	57	80
2	सहायक प्रोग्रामर	2	–	2	–	–	–
3	अन्वेषक/खण्ड स्तर अन्वेषक	10	163	173	8	72	80
4	संगणक/कम्प्यूटर/डाटा एन्ट्री आपरेटर	4	16	20	3	2	5
5	अधीक्षक	1	–	1	1	–	1
6	सहायक ग्रेड–1	2	–	2	2	–	2
7	सहायक ग्रेड–2	5	16	21	5	12	17
8	सहायक ग्रेड–3	20	23	43	10	16	26
9	कनिष्ठ लेखा अधिकारी	1	–	1	1	–	1
10	कनिष्ठ लेखा परीक्षक	1	–	1	1	–	1
11	शीघ्रलेखक/स्टेनोटायपिस्ट	5	16	21	2	–	2
12	के.पी.ओ./सार्टर आदि (एम.टी.यू.)	2	–	2	–	–	–
13	वाहन चालक	1	7	8	–	6	6
द	**चतुर्थ श्रेणी**						
1	भृत्य	15	32	47	7	15	22
2	जमादार	1	–	1	1	–	1
3	चौकीदार	2	–	2	–	–	–
4	वाटरमेन/फर्राश/(कलेक्टर द्वारा निर्धारित दर पर)	5	16	21	5	20	25
	योग :–	136	397	533	86	213	299

परिशिष्ट–दो

संभाग का नाम	कार्य का विवरण
1. प्रशासन, सांख्यिकी समन्वय एवं प्रशिक्षण	1. सामान्य प्रशासन स्थापना लेखा तथा परीक्षण 2. केन्द्र तथा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों से सांख्यिकी समन्वय स्थापित 3. विभागीय योजनाएं तैयार करना । 4. प्रशिक्षण/कार्यशाला/सम्मेलन आदि के लिए नामांकन/अनुवर्तन कार्यवाही ।
2. पुस्तकालय एवं सांख्यिकी प्रकाशन	1. आर्थिक एवं सांख्यिकी तथा सामाजार्थिक सांख्यिकी संबंधित पुस्तकों/प्रकाशनों का रख रखाव । 2. राज्य स्तरीय नियमित सांख्यिकी प्रकाशनों को तैयार करना तथा प्रकाशित करना ।
3. औद्योगिक खनिज एवं पूंजी निर्माण ।	1. औद्यौगिक, खनिज एवं ऊर्जा सांख्यिकी का एकत्रीकरण 2. पूंजी निर्माण के अनुमान तैयार करना । 3. सार्वजनिक क्षेत्रों का लेखा विश्लेषण । 4. कृषि, वित्तीय तथा व्यापारिक सांख्यिकी का एकत्रीकरण अनुसंधान/विश्लेषणात्मक अध्ययन
4. राज्यीय आय, लोक वित्त एवं बजट विश्लेषण ।	1. राज्य तथा जिला स्तरीय घरेलू उत्पाद के अनुमान तैयार करना । 2. राज्य एवं स्थानीय संस्थाओं के आय व्यय का आर्थिक एवं उद्देश्वार वर्गीकरण । 3 लोक वित्त तथा स्थानीय संस्थाओं का सांख्यिकी एकत्रीकरण ।
5. राष्ट्रीय न्यादर्श सर्वेक्षण एवं राज्यीय सर्वेक्षण	1. राष्ट्रीय न्यादर्श सर्वेक्षण के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्य का सर्वेक्षण/सारणीयन एवं प्रतिवेदन तैयार करना । 2. आर्थिक गणना । 3. शासन की कल्याणकारी योजनाओं का सामाजार्थिक सर्वेक्षण मूल्यांकन अध्ययन एवं प्रतिवेदन तैयार करना ।

6. जीनांक सांख्यिकी	1. जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 का प्रभावी क्रियान्वयन तथा वार्षिक जीवनांक प्रतिवेदन तैयार करना । 2. अन्तर्राष्ट्रीय वर्गीकरण अनुसार मृत्यु के कारणों का चिकित्सीय प्रमाण पत्र से संबंधित प्रतिवेदन तैयार करना ।
7. मूल्य सांख्यिकी एवं बाजार समाचार तथा सामाजिक एवं विविध सांख्यिकी	1. थोक तथा फुटकर मूल्यों का संकलन/समीक्षा बाजार समाचार अध्ययन । 2. गृह एवं भवन निर्माण सांख्यिकी, स्वास्थ्य परिवार तथा समाज कल्याण, औद्योगिक सामाजिक सुरक्षा, 3. शिक्षा, पर्यावरण, मनोरंजन, जेल, न्याय पालिका, पुलिस, अपराध, श्रम, रोजगार तथा विविध सांख्यिकी एकत्रीकरण एवं सांख्यिकी कोष का निर्माण ।
8. आर्थिक विश्लेषण, कर्मचारी गणना एवं सारणीयन ।	1. छत्तीसगढ के शासकीय क्षेत्र में नियोजित कर्मचारियों की गणना एवं सारणीयन । 2. क्षेत्रीय सामाजार्थिक विकास सूचकांक तैयार करना । 3. आर्थिक सर्वेक्षण/समीक्षा 4. आर्थिक प्रज्ञान सांख्यिकी का प्रदर्शन 5. समंकों का कम्प्यूट्रीकरण
9. जिला सांख्यिकी तंत्र	1. जिला सांख्यिकी कार्यालयों का तकनीकी मार्गदर्शन तथा तकनीकी निरीक्षण । 2. जिला स्तरीय प्रकाशनों की परिनिरीक्षा एवं गुणात्मक सुधार लाने हेतु दिशा-निर्देश/सुझाव देना ।